पुस्तकालय

1

3071
6/4/10

सत्यमेव जयते

असंशोधित

16 MAR 2010

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

(भाग 1—कार्यवाही—प्रश्नोत्तर)

प्रतिवेदन शाखा
गै०स०प्रे०सं० 517 तिथि 01-4-10

टर्न-५/१६-०३-१०/विजय

तारांकित प्रश्न संख्या-७०४ (श्री अनिल सिंह)

श्री हरि नारायण सिंह,मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो प्रश्न उसका उत्तर मैं दे रहा हूं।

१- आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । बेलहर प्रखंड की साक्षरता दर पुरूष ५७.२८ महिला २७.०३ ।

अध्यक्षः नवादा जिला का मामला है ये ।

[व्यवधान]

माननीय मंत्री जी इसको अभी स्थगित करते हैं इसको तैयार कर के आइयेगा अगली तिथि को जवाब दीजियेगा ।

श्री अनिल सिंहः महोदय, इसको स्थगित किया जाय ।

अध्यक्षः इस प्रश्न को स्थगित किया अगली तिथि को माननीय मंत्री तैयार हो आयेगे, इसका जवाब देंगे ।

तारांकित प्रश्न संख्या-७०५ (श्री राज किशोर केशरी)

श्री विजेन्द्र प्र० यादव,मंत्रीः १- उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

पूर्णिया कोर्ट कम्पाउंड स्थिति वस्तुस्थिति यह है कि कुली १४ कमरा उत्पाद विभाग को पचास वर्षो से आवंटित है । इसमें पूरब रूख का ८ कमरा आरक्षी मध्य विद्यालय द्वारा कब्जा कर लिया गया है । दक्षिण रूख से ६ कमरा उत्पाद मालखाना एवं जिला में हाजत नहीं रहने के कारण हाजत के रूप में यदा कदा व्यवहार किया जाता है ।

२- उत्तर अस्वीकारात्मक है । कैदखाने में ही विद्यालय को बिना उत्पाद विभाग की अनुमति प्राप्त किये चलाया जा रहा है जिससे उत्पाद विभाग के कार्य में कठिनाई हो रही है । उत्पाद के आरक्षियों द्वारा विभागीय हाजत के अभाव में यदा कदा उत्पाद अभियुक्तों को रात्रि में रखा जाता है तथा दिन में अग्रेतर कार्रवाई कर अभियुक्तों को वहां से हटा दिया जाता है । इससे विद्यालय के पठन पाठन में कोई व्यवधान नहीं होता है ।

३- प्रश्न संख्या १ और २ के उत्तर में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है । यह संपूर्ण परिसर लोक निर्माण विभाग द्वारा उत्पाद विभाग को आवंटित है तथा विभाग के पास कोई दूसरा स्थान नहीं है । मध्य विद्यालय को ही अन्यत्र स्थानान्तरित करने की आवश्यकता है । अतः इसे स्थानान्तरति करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री राज किशोर केशरीः अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से हम जानना चाह रहे हैं मंत्री जी का जवाब सुन रहे हैं कि उत्पाद विभाग का ही वह कार्यालय था जिसमें कि स्कूल खोल दिया गया और स्कूल चल रहा है । उसी में कैदखाना भी चल रहा है। या तो दो में से एक को अलग कीजिये । दोनों एक में कैसे चलेगा ?

अध्यक्षः मा० सदस्य राजकिशोर जी आप मंत्री का जवाब ठीक से सुनते तो उसका जवाब मिल जाता । माननीय मंत्री जी ने विद्यालय को अलग किसी अन्यत्र स्थान पर स्थानान्तरित करने की बात कही है ।

श्री राज किशोर केशरीः कब तक कर दिया जाएगा । अभी तो उसका पूरा बिल्डिंग बना हुआ है । यह जो जवाब आया है मैं कह रहा हूं कि परियोजना से बिल्डिंग बन गया वहां पर ।

श्री विजेन्द्र प्र० यादव,मंत्रीः महोदय, पुलिस के लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया है । वह स्कूल सरकारी मान्यता प्राप्त है कि नहीं है यह भी दिखवाना होगा । शिक्षा विभाग गृह विभाग के साथ एक समेकित समीक्षा की जायेगी अगर स्कूल सरकारी होगा तो निश्चित रूप से उसको अलग स्थानान्तरण की कार्रवाई की जायेगी । अगर अवैध रूप से कब्जा किया होगा तो कार्रवाई की जायेगी । क्योंकि अनुमति तो उत्पाद विभाग से लिया नहीं है । पचास साल पहले भूमि आवंटन हुआ उत्पाद विभाग ने अपना कार्यालय बनाया । अब उसमें जबरदस्ती लोग स्कूल खोल दिये यही उत्तर आया है । इसको पूरा तौर पर हम देखेंगे विद्यालय वैध होगा तो ट्रांसफर किया जायेगा दूसरी जगह शिक्षा विभाग से समन्वय करके । अगर अवैध होगा तो हटाने की कार्रवाई की जायेगी ।

श्री राज किशोर केशरी : अध्यक्ष महोदय, हम आपके माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि सरकारी विद्यालय है, उसके अंदर सरकारी विद्यालय चल रहा है सरकारी विद्यालय का रोज उसमें नये नये बिल्डिंग बन रहे हैं लेकिन बगल में उत्पाद विभाग का एक कैदखाना है यह सही बात है कि वहां केदखाना है रोज मुजरिम को लाया जाता है उसी विद्यार्थी के बीच में पीटा जाता है और वहां पर दारू लाया जाता है ।

क्रमशः

श्री राजकिशोर केसरी : ...क्रमशः ...

और वहां पर वही विद्यालय नहीं है । एक ही चीज नहीं है, आपकी जानकारी में दे दूं कि कस्तूरबा विद्यालय भी उसी कैम्पस में बन गया या तो वहां से विद्यालय को हटायें या उत्पाद विभाग के कार्यालय को हटायेंगे, अब बताइये वहां कैसे पठन पाठन हो सकता है, कैसे हो सकता है पठन पाठन यह बता दीजिये ।

अध्यक्ष : शांति-शांति । माननीय मंत्रीजी । माननीय सदस्यगण, शांति । राजकिशोरजी, ठीक से प्रश्न का जवाब सुन लीजिये ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : सुनिये जरा गौर से सुनिये । मैंने कहा उत्पाद विभाग की वह जमीन है, उत्पाद विभाग का कार्यालय है, लोगों ने, इनको अगर स्कूल खोलना होगा तो स्कूल की अनुमति लेगा न कि कलेक्टरेट में या किसी दफ्तर में खोल देगा । वे लोग अवैध कब्जा करके स्कूल चलाने का काम कर रहे हैं । मैंने कहा अगर सरकारी स्कूल होगा तो शिक्षा विभाग से सम्पर्क करके उसको स्थानांतरित करने की कार्रवाई की जायेगी अगर सरकारी नहीं होगा तो गृह विभाग के माध्यम से उसका भी निराकरण किया जायेगा, यह मैंने कहा ।

श्री राजकिशोर केसरी : अध्यक्ष महोदय, अगर की इसमें कोई गुंजाईश नहीं है । मैं कह रहा हूं सरकारी विद्यालय है, सरकारी विद्यालय है, सरकारी विद्यालय अतिक्रमण नहीं हुआ है उसमें सरकारी विद्यालय चल रहे हैं, आज से नहीं चल रहे हैं काफी दिनों से चल रहे हैं, हम मान लिया कि उत्पाद विभाग की वह जमीन है लेकिन उसमें स्कूल चल रहा है यह बात सही है कि नहीं, सरकारी विद्यालय चल रहा है प्राईवेट विद्यालय नहीं चल रहा है, उसमें अभी तुरत कस्तूरबा विद्यालय भी खुला है । अब क्या होगा ?

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि अगर सरकारी होगा तो उसको ट्रांस्फर किया जायेगा दूसरी जगह । अब सुन तो लीजिये ।

अध्यक्ष : शांति-शांति । माननीय सदस्य, माननीय मंत्री ने तो बहुत स्पष्ट कहा, दोनों कार्यालय सरकारी हैं उस परिसर में ।

श्री रामचंद्र पूर्वे : महोदय, माननीय सदस्य ने कहा कि वर्षों से वहां पर सरकारी विद्यालय चल रहा है, दूसरी बात कि सरकार के तहत, सर्व शिक्षा अभियान के तहत भवन पर भवन वहां बन रहे हैं और इतना ही नहीं, सबसे गम्भीर मामला यह है कि कस्तूरबा बालिका आवासीय विद्यालय भी वहां पर चल रहा है जहां पर लड़कियां पढ़ रही हैं तो ऐसी परिस्थिति में यह कहना कि अवैध ढंग से विद्यालय चल रहा है मैं समझता हूं नहीं, दूसरी बात विद्यालय को विस्थापित करना यह एक बड़ा भारी सैंकटिटी का सवाल है, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि वहां पर विद्यालय चल रहे हैं, विद्यालय के भवन हैं, लड़कों की पढ़ाई हो रही है और कस्तूरबा बालिका विद्यालय वहां पर चल रहा है तो शिक्षा की गम्भीरता और उसकी पवित्रता और पेडागौगिक ऐसपेक्ट को देखते हुए क्या सरकार वहां पर ताड़ी की दूकान से संबंधित जो कार्यालय है उसको दूसरी जगह स्थानांतरित करने का उपाय करना चाहती है ?

टर्न-६/१६.३.१०/
श्रीरमण/

14.

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, सुनिये । महोदय, वह ५० साल पहले, ५० वर्षों से वह परिसर उत्पाद विभाग का है । भवन निर्माण विभाग ने जमीन आवंटन किया उत्पाद विभाग को भी कार्यालय की आवश्यकता होती है । रिपोर्ट आयी है कि उसमें बगैर उत्पाद विभाग के अनुमति के स्कूल खोल दिया गया है,आप शिक्षा मंत्री रहे हैं, तो मैंने कहा, हमारे यहां जो रिपोर्ट आयी है, सरकारी है या गैर सरकारी है, उत्पाद विभाग तो उसका प्रतिवेदन देगा नहीं, उसने लिखा है केवल अवैध है, मैंने कहा कि अगर सरकारी होगा तो स्थानांतरण करने के लिये शिक्षा विभाग से समन्वय स्थापित करके जो उपयुक्त जगह होगा वहां किया जायेगा अगर अवैध होगा तो उस पर गृह विभाग से भी बात करके निराकरण निकाला जायेगा, इसमें कहां कोई कन्फ्यूजन है ? लेकिन उत्पाद विभाग, जरा रामदेव बाबू, कलेक्टरेट में जाकर जबर्दस्ती स्कूल खोल दीजियेगा तो हो गया स्कूल की जमीन ।

(व्यवधान)

एक मिनट, क्लैरिफाई हो लीजिये कि उत्पाद विभाग का कार्यालय है, उत्पाद विभाग की जमीन है, ये नहीं कि दूकान खोली गयी है, दोनों में कन्फ्यूजन मत करिये । उत्पाद विभाग का कार्यालय है, ८ कमरे का भवन है, कार्यालय है ।

...क्रमशः ...

तारांकित प्रश्न संख्याः-७०५ का पूरक

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री, क्रमशः- यह नहीं की कोई दूकान का लाईसेंस दिया गया है,यह बात नहीं है,वह जमीन भवन निर्माण विभाग ने ५० साल पहले उत्पाद विभाग को आवंटित किया,वहाँ उन्होंने कार्यालय बनाया,यह स्थिति है,यह नहीं कि लाईसेंस दिया गया है।

(व्यवधान)

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकीः-महोदय,माननीय मंत्री जी ने कहा कि उत्पाद विभाग का कार्यालय है, उसपर स्वामित्व उत्पाद विभाग का है और अवैध रुप से कस्तूरबा विद्यालय उसमें खुल गया है,ठीक है,तो अवैध रुप से जो विद्यालय वहाँ खुला,उसके लिए शिक्षा विभाग और जिलाधिकारी जो दोषी हैं,उनके विरुद्व क्या सरकार कार्रवाई करना चाहती है।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्रीः- अब देखिये महोदय,जगह खाली रहता है,तो स्वाभाविक है स्कूल खुल जाया करता है,हमने कहा.....

(व्यवधान)

पहले सुन तो लीजिये,ऐसा कभी चलेगा क्या,जो आप कहियेगा वही मान लिया जाय क्या,कोई सुनने को तैयार नहीं है,तो मत सुनिये।

अध्यक्षः- शांति-शांति।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकीः-महोदय,कस्तूरबा विद्यालय का स्थल चयन के लिए जिलाधिकारी ही करते हैं तो जिलाधिकारी ने अगर एक किसी सरकारी संस्थान के भवन या जमीन में जो अनुमति दी खोलने का,तो क्या उनके विरुद्व कार्रवाई होगी।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्रीः-महोदय,मुझे लगता है कि सिद्दिकी साहब भी,हमारा उत्तर क्या है,आरक्षी मध्य विद्यालय द्वारा कब्जा किया गया है,अब कस्तूरबा का तो कोई जिक्र है नहीं लेकिन अगर आप कह रहे हैं,मैंने इसीलिए कहा कि मानव संसाधन विकास विभाग से समन्वय करेंगे कि क्या है,हमारे विभाग को देगा कि कस्तूरबा है या आरक्षी विद्यालय है...

(व्यवधान)

अब माननीय सदस्य ज्यादा जानकारी रखते हैं, तो सरकार ग्रहण कर रही है।

अध्यक्षः- सरकार इसे गंभीरता से देखेगी। माननीय सदस्य श्री रामानुज प्रसाद।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकीः-महोदय,आपसे अनुरोध है कि शिक्षा विभाग,उत्पाद विभाग तथा स्थानीय जिलाधिकारी की बैठक करके इसका निदान निकाले।

अध्यक्षः- सरकार उसको देख लेगी। मा०सदस्य श्री रामानुज प्रसाद

तारांकित प्रश्न संख्याः-७०६

श्री गौतम सिंह,राज्यमंत्रीः-महोदय,खण्ड १:-आंशिक रुप से स्वीकारात्मक है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के ३१.३.९८ तक कुल १०६९ सेवा निवृत कर्मियों एवं मृत कर्मियों के मामले में उनके आश्रितों को सीमांत लाभ एवं बकाया वेतन का भुगतान प्राधिकार दिया गया है। इसके अतिरिक्त १.४.९८ से ३१.३.२००१ के बीच कुल ८०२ कर्मियों की सेवानिवृत एवं मृत कर्मियों के आश्रितों को बकाया वेतन आदि का भुगतान प्राधिकृत किया गया है,शेष कर्मियों को भुगतान की प्रक्रिया की जा रही है।

खण्ड २:-आंशिक रुप से स्वीकारात्मक है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन किया जा रहा है। भुगतान की स्थिति खण्ड १ में वर्णित है।